ए.

नंदीनी शर्मा और ए. एन. आर.

बनाम

भारत और भारत का पंजीकृत सर्वोच्च न्यायालय। (2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1087)

बी.

16 नवंबर, 2022

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

उच्चतम न्यायालय नियम, 2013:आदेश IV, rr.1(बी), 5,7 (सी)-आरआर की वैधता। 1(ख), 5,7 (ग), अनुचित, भेदभावपूर्ण, दमनकारी और कलाओं के उल्लंघन के लिए चुनौती दी गई।14 और संविधान के 19 (1) (जी)-उक्त नियम संविधान के Art.145 के तहत बनाए गए हैं और उसमें विशेष रूप से अधिवक्ताओं की एक श्रेणी को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है-याची के अनुसार, इस तरह के नियम विशेष अधिकारों वाले अधिवक्ताओं के एक वर्ग को भी प्रतिस्थापित करते हैं।30 अधिवक्ता अधिनियम, 1961-आयोजितःएस के साथ संविधान का Art.145।52(ख) अधिवक्ता अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय में कार्य करने या अभिवचन करने वाले व्यक्तियों के लिए नियम बनाने का अधिकार चुनौती से परे है-केवल कानून के काम करने में कठिनाई उन नियमों को सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए ठोस आधार प्रदान नहीं करती है जो अधीनस्थ विधान की प्रजातियां हैं और संवैधानिक प्रावधान से उनकी उत्पत्ति होती है-एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता जिसमें विभिन्न पहलुओं में कौशल का परीक्षण किया जाता है, जिसमें न्यायालय की प्रथाओं को अनुचित या मनमाना नहीं माना जा सकता है-नियमों के खिलाफ चुनौती खारिज-अधिवक्ता अधिनियम, 1961-एस. एस.30, 52(ख) और 34-भारत का संविधान-Art.145,14 और 19 (1) (g)।

सी.

डी.

ई.

एफ.

रिट याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि -किसी भी कानून के काम करने में, यह संभावना नहीं है कि यह कुछ कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है, लेकिन यह शायद ही उस प्रावधान को सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए कानून में आवश्यक दृढ़ आधार प्रदान करता है जो निस्संदेह अधीनस्थ विधान की प्रजाति है, जबकि विशेष रूप से इसे बनाने की शक्ति का मूल एक संवैधानिक प्रावधान में है जो इस मामले में संविधान का अनुच्छेद **145** है।एक परीक्षा उत्तीर्ण करने का आग्रह जिसमें विभिन्न पहलुओं में कौशल का परीक्षण किया जाता है, जिसमें शामिल हैं

जी.

एच.

760 ए.

761

नंदीनी शर्मा और ए. एन. आर. वी.भारत और भारत का पंजीकृत सर्वोच्च न्यायालय।

इस न्यायालय की प्रथाओं को किसी भी तरह से अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता है, कि न्यायालय को उक्त नियमों को अमान्य कर देना चाहिए।**[**पैरा **10** और **11] [765-**ई-एफ**]**

श्री अरुण कुमार और एक अन्य बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय **(2015) 16** एस**.** सी**.** सी**. 57;** बलराज सिंह मलिक बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने महापंजीयक**, 2012** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन डेल **897** के माध्यम से। लिली इसाबेल थॉमस एयर **1964**

बी.

एससी **855:[1964] 6** एस**.** सी**.** आर**. 229-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

(2015) 16 एससीसी **57**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

सी.

[1964] 6 एससीआर **229**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1087।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत रूप से

डी.

सुश्री राधिका गौतम, उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

ई.

1. रिट याचिका को फिर से दायर करने में 11 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।2. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और बहस करने की अनुमति के लिए आवेदन की अनुमति है।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने वाले याची ने प्रार्थनाओं में उल्लिखित नियम को चुनौती दी है जिसे अन्य बातों के साथ-साथ नीचे पढ़ा गया है:-

एफ.

न्यायालयएन्यायालय.न्यायालय न्यायालयआन्यायालयदन्यायालयेन्यायालयशन्यायालय
न्यायालय I न्यायालय V न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयवन्यायालयान्यायालयदन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालययन्यायालयमन्यायालय न्यायालय 1 न्यायालय
न्यायालय(न्यायालयबन्यायालयीन्यायालय)न्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालययन्यायालयमन्यायालय न्यायालय 5 न्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालयनन्यायालयिन्यायालययन्यायालयमन्यायालय
न्यायालय 7 न्यायालय न्यायालय(न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय)न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयुन्यायालयचन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयभन्यायालयेन्यायालयदन्यायालयभन्यायालयान्यायालयवन्यायालयपन्यायालयून्यायालय
रन्यायालय्न्यायालयणन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयदन्यायालयमन्यायालयनन्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालयभन्यायालयान्यायालयरन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयवन्यायालयिन्यायालयधन्यायालयान्यायालयनन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयुन्यायालयचन्यायालय्न्यायालयछन्यायालयेन्यायालयदन्यायालय

न्यायालय 1 न्यायालय 4 न्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयुन्यायालयचन्यायालय्न्यायालयछन्यायालयेन्यायालयदन्यायालय न्यायालय 1 न्यायालय 9 न्यायालय न्यायालय(न्यायालय 1 न्यायालय)न्यायालय न्यायालय(न्यायालयजन्यायालयीन्यायालय)न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयउन्यायालयलन्यायालय्न्यायालयलन्यायालयंन्यायालयघन्यायालयनन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय न्यायालयअन्यायालयमन्यायालयान्यायालयनन्यायालय्न्यायालययन्यायालय न्यायालयघन्यायालयोन्यायालयषन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयान्यायालय।न्यायालय 4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए उक्त नियम के तहत, अधिकार विशेष रूप से अधिवक्ताओं की एक श्रेणी को प्रदान किया गया है जिन्हें रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है। याची के अनुसार, जो एक अधिवक्ता है और जो व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में उपस्थित होता है,

जी.

एच.

762

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

ए.

इस तरह का एक नियम विशेष अधिकारों के साथ अधिवक्ताओं का एक वर्ग अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 के विपरीत है, जिसके तहत याची की तरह एक अधिवक्ता जो कानून की परीक्षा में उपस्थित हुआ है और परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और एक वकील बन गया है, वह किसी भी अन्य वकील की तरह उन सभी चीजों को करने का हकदार है जिन्हें अब केवल एक रिकॉर्ड पर अधिवक्ता द्वारा करने की अनुमति है।

बी.

5. हमें प्रत्यर्थी संख्या 3-बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री राधिका गौतम को सुनने का भी लाभ मिला।

भारत।

6. प्रत्यर्थी संख्या 3 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री राधिका गौतम ने निर्णयों का एक संकलन हमारे ध्यान में लाया।के निर्णय में

सी.

श्री अरुण कुमार और एक अन्य बनाम उच्चतम न्यायालय में यह न्यायालय

भारत, (2015) 16 एस. सी. सी. 57, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- "2. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी विचार किया है। हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों से सहमत नहीं हैं और हम लिली इसाबेल थॉमस में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार करते हैं।

डी.

पुनः (ए. आई. आर. 164 एस. सी. 855) और उसके बाद, हरीश उप्पल बनाम भारत संघ (2003), 2 एस. सी. सी. 45 में।

3. हमने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी विचार किया है।

ई.

बलराज सिंह मलिक बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली का न्यायालय,

2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 897 और हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को भी मंजूरी देते हैं।"

7. उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

श्री ए. के. द्वारा लिखित बलराज सिंह मलिक बनाम उच्चतम न्यायालय के मामले में भारत के महापंजीयक, 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 897 के माध्यम से।

एफ.

सीकरी उस समय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे।इस मामले में भी रिट याची द्वारा अधिवक्ताओं को ए. ओ. आर. और गैर-ए. ओ. आर. के रूप में वर्गीकृत करने और उच्चतम न्यायालय में मामले दायर करने के अधिकार को केवल पूर्व श्रेणी तक सीमित करने पर आपत्ति जताई गई थी।उक्त चुनौती से निपटा गया और न्यायालय को विवाद में कोई योग्यता नहीं मिली।

जी.

"9. इन सभी वकीलों ने तर्क दिया है कि 1961 का अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पारित किया गया था और अध्याय III में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 में देश में केवल दो प्रकार के अधिवक्ताओं के लिए प्रावधान हैं, अर्थात् वरिष्ठ और अन्य अधिवक्ता।

एच.

नंदीनी शर्मा और ए. एन. आर. वी.भारत और भारत का पंजीकृत सर्वोच्च न्यायालय। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

इसलिए एओआर प्रणाली को जारी रखने का कोई उद्देश्य या उद्देश्य नहीं है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

10. यह तर्क दिया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत दी गई शक्ति संविधान और/या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की भावना को पूरक और प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है।संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिवक्ता अधिनियम के आलोक में ए. ओ. आर. प्रणाली को जारी रखने की कोई शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय के पास केवल उन व्यक्तियों को विनियमित करने की शक्ति है जो उसके समक्ष वकालत कर सकते हैं लेकिन किसी को भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वकालत करने से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं।" अंतिम लेकिन कम से कम, हम पांच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं और जिसे पहले उल्लिखित फैसले, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 855, में संदर्भित विद्वान गया है। लिली इसाबेल थॉमस।इसमें यह न्यायालय उच्चतम न्यायालय नियम, 1960 के नियम 16 को चुनौती दे रहा था, जिसमें रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी।न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 145 के अलावा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 52 से समर्थन प्राप्त किया और कहा कि "अभ्यास करने का अधिकार" शब्द सामान्य अर्थ में न केवल अभिवचन करने का अधिकार बल्कि कार्य करने का अधिकार भी लेगा।

बी.

सी.

डी.

8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि याची ने पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड प्रणाली को चुनौती दी गई थी।शिकायत यह थी कि कोई भी अधिवक्ता जो किसी भी राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत था, पटना उच्च न्यायालय में वकालत करने का हकदार नहीं था।अधिवक्ता को अभी भी एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी जिसे अभिलेख परीक्षा पर अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी गई थी।उच्च न्यायालय में अपील करने वाला तर्क यह था कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 34 के तहत अधिवक्ताओं को रिकॉर्ड पर विशेष अधिकार देने या इस बात पर जोर देने की कोई शक्ति नहीं थी कि केवल रिकॉर्ड पर एक अधिवक्ता को ही नियम में प्रदान की गई विभिन्न चीजों को करने का अधिकार होगा।

ई.

एफ.

9. जहाँ तक इस न्यायालय में अभिलेख पर अधिवक्ता की प्रणाली की बात है, निस्संदेह, यह एक संवैधानिक प्रावधान, अर्थात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 पर आधारित है।अनुच्छेद 145 इस प्रकार हैः-

जी.

145. न्यायालय के नियम आदि।—(1) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर

एच.

समय, राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ, न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को आम तौर पर विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं, जिसमें शामिल हैं-(ए) न्यायालय के समक्ष अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम;

(ख) अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया और अपीलों से संबंधित अन्य मामलों के बारे में नियम, जिसमें वह समय भी शामिल है जिसके भीतर न्यायालय में अपील की जानी है;

बी.

(ग) भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में कार्यवाही के बारे में नियम;

[((ग) [अनुच्छेद 139-क] के अधीन न्यायालय में कार्यवाही के बारे में नियम;]

सी.

(घ) अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) के तहत अपीलों के मनोरंजन के बारे में नियम;

(ङ) उन शर्तों के बारे में नियम जिनके अधीन न्यायालय द्वारा घोषित किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा की जा सकती है और ऐसी समीक्षा के लिए प्रक्रिया जिसमें वह समय भी शामिल है जिसके भीतर ऐसी समीक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन किए जाने हैं; (च) न्यायालय में किसी भी कार्यवाही की लागत और आकस्मिक के बारे में नियम और उसमें कार्यवाही के संबंध में प्रभारित शुल्क के बारे में नियम;

डी.

ई.

(छ) जमानत देने के बारे में नियम; (छ) कार्यवाही पर रोक लगाने के बारे में नियम;

(i) किसी भी अपील के संक्षिप्त निर्धारण के लिए प्रावधान करने वाले नियम जो न्यायालय को तुच्छ या परेशान करने वाली या देरी के उद्देश्य से लाई गई प्रतीत होती है;

एफ.

(जे) अनुच्छेद 317 के खंड (1) में निर्दिष्ट पूछताछ की प्रक्रिया के बारे में नियम।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में धारा 52 की उपस्थिति पर प्रत्यर्थी संख्या 3-बार काउंसिल ऑफ इंडिया की विद्वान अधिवक्ता सुश्री राधिका गौतम द्वारा भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है।वह इस प्रकार हैः-

जी.

“52. बचत-इस अधिनियम की किसी भी बात से संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत नियम बनाने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्रभावित नहीं होगी-ए

एच.

765

नंदीनी शर्मा और ए. एन. आर. वी.भारत और भारत का पंजीकृत सर्वोच्च न्यायालय। [के. एम. जोसेफ, जे.]

(क) उन शर्तों को निर्धारित करने के लिए जिनके अधीन एक वरिष्ठ अधिवक्ता उस न्यायालय में वकालत करने का हकदार होगा;

(ख) उन व्यक्तियों का निर्धारण करने के लिए जो उस न्यायालय में [कार्य या वाद] करने के हकदार होंगे।”

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 52 (बी) के साथ संविधान के अनुच्छेद 145 को एक साथ पढ़ें, इस मामले को किसी भी संदेह के दायरे से परे रखा गया है, कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ नियम बनाने का अधिकार, उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान करने के लिए जो इस न्यायालय में कार्य कर सकते हैं या वकालत कर सकते हैं, चुनौती से परे है।

बी.

10. याची का तर्क प्रतीत होता है कि नियम अनुचित हैं।जब न्यायालय को विधान की न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति में आमंत्रित किया जाता है, जिसमें निस्संदेह, अधीनस्थ विधान शामिल

होता है, तो यह प्राथमिक बात है कि न्यायालय एक अपीलीय मंच के रूप में नहीं बैठा है जो विधान के विवेक पर निर्णय लेना चाहता है।जब तक कोई नियम, जैसा कि इस मामले में, जो अधीनस्थ विधान की एक प्रजाति है, किसी भी ऐसे दोष से पीड़ित नहीं है जिसके लिए किसी भी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, तब तक यह किसी विशेष मामले में उत्पन्न होने वाले परिणामों के आधार पर अमान्य होने के लिए असुरक्षित नहीं है।हम इस संबंध में ध्यान दे सकते हैं कि याची के पास रिकॉर्ड पर एक विशेष अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत है-जिसे संयोग से प्रत्यर्थी संख्या 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।किसी भी कानून के काम करने में, यह संभावना नहीं है कि यह कुछ कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है, लेकिन यह शायद ही उस प्रावधान को सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए कानून में आवश्यक दृढ़ आधार प्रदान करता है जो निस्संदेह अधीनस्थ विधान की प्रजाति है, जबकि विशेष रूप से इसे बनाने की शक्ति का मूल एक संवैधानिक प्रावधान में है जो इस मामले में संविधान का अनुच्छेद 145 है।

सी.

डी.

ई.

11. एक परीक्षा के उत्तीर्ण होने पर जोर देना, जिसमें इस न्यायालय की प्रथाओं सहित विभिन्न पहलुओं में कौशल का परीक्षण किया जाता है, को किसी भी तरह से अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता है, कि न्यायालय को उक्त नियमों को अमान्य कर देना चाहिए।यदि याची की कोई विशेष शिकायत है, तो निस्संदेह कानून एक उचित उपाय प्रदान करेगा।यह एक ऐसा मामला है जिसकी हमें आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है।रिट याचिका खारिज हो जाएगी।

एफ.

जी.

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

लिखित याचिका खारिज की गई।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

एच.